न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

अपील संख्या :– 188/2018 निर्णय दिनांक :– 19.8.20

उनवान

1. राजेन्द्र जैन श्री चिरंजीलाल जैन, जाति जैन, निवासी कोटखावदा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राज0।

––वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 इस प्रकार पेश किया कि ग्राम कोटखावदा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राजस्थान में साबिक खसरा न0 833 रकबा 3 बिस्वा को हिस्सा 1/2 को तत्समय समय खातेदारी मैरें पिताजी चिरजीलाल अजमेरा पुत्र श्री गेन्दीलाल अजमेरा जाति जैन निवासी कोटखावदा तहसील चाकसू नवसृजित तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राजस्थान के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में अंकित व स्थित है। तत्समय उक्त खातेदार मैरें पिताजी के द्वारा दिनांक 16.01.1987 को उक्त भूमि खसरा न0 833

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

रकबा 3 बिस्वा को हिस्सा 1/2 में से अपना हिस्सा 1/2 अर्थात 1, 1/2 बिस्वा का विक्रय पत्र से केती श्रीमति पुष्पा देवी पत्नी श्री अजीत कुमार गोधा निवासी काशीपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान के हक में जरिये विक्रय पत्र से बेचान कर दिया गया था। परन्तु उक्त विक्रय पत्र की नामान्तकरण कार्यवाही से शेष रह तथा उक्त विक्रय पत्र का नामान्तकरण खुल कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होने से शेष रह गया तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वारा एकीकरण कार्य पूर्ण होने के पश्चात उक्त खसरा न0 833 रकबा 3 बिस्वा के वर्तमान खसरा न0 3402 रकबा 0.04 है0 बन गये है। तत्पश्चात उक्त खसरा न0 साकिब खसरा न0 833 रकबा 3 बिस्वा के विक्रय पत्र दिनांक 16.01.1987 के अनुसार विक्रय से विक्रय पत्र किया जाकर वर्तमान खसरा न0 3402 रकबा 0.04 है0 में हिस्सा 1/2 को उक्त केती श्रीमति पुष्पा देवी पत्नी अजीत कुमार गौधा, निवासी काशीपुरा, तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान से दिनांक 30.06.2011 को जरिये विक्रय पत्र से क्रय कर लिया जाकर मुझ प्रार्थी राजेन्द्र जैन पुत्र श्री चिरंजीलाल जैन, जाति जैन निवासी कोटखावदा तहसील चाकसू हाल नव सुजित तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राज0 के हक में पंजीबद्ध किया गया था। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 16.01.1987 एवं 30.06.2011 की फोटो प्रतिया एवं मिलान क्षेत्रफल प्रति संलग्न कर नामान्तकरण की कार्यवाही हेतु कई बार अप्रार्थी एवं अप्रार्थी के कर्मचारियों हल्का पटवारी को दी जा चुकी है। मगर अप्रार्थी के द्वारा आज दिनांक तक नामान्तकरण की कार्यवाही नही की गई है। सरकार भूमिधारी है। जो राजस्व रिकार्ड का रख रखाव करते है जो आवश्यक फरीक मुकदमा होने के कारण उनकों प्रतिवादी बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र श्रीमान

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

के न्यायालय में पेश कर निवेदन है कि उक्त ग्राम कोटखावदा, तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राजस्थान में रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.01.1987 एवं 30.06.2011 के अनुसार नामान्तकरण की काग्रवाही कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी व जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया गया कि यह है कि बिन्दु संख्या एक रिकोडेड है यह है कि बिन्दु संख्या दो वादी स्वय सिद्ध करें यह है कि बिन्दु संख्या तीन रिकार्ड अनुसार है वादी स्वयं सिद्ध करें, यह है कि बिन्दु संख्या चार रिकार्ड अनुसार है, यह है कि बिन्दु संख्या पांच वादी स्वयं सिद्ध करे, यह है कि बिन्दु संख्या छः कानूनी बिन्दु है, यह है कि बिन्दु संख्या सात न्यायालय से सबाधित है, यह है कि बिन्दु संख्या आठ न्यायालय से सबधिंत है, यह है कि बिन्दु संख्या आठ न्यायालय से संबधिंत है, जवाब सरकार के साथ रिपोर्ट गिरदावर एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गयी जो इस प्रकार उपयुक्त सर्दभ में निवेदन है कि ग्राम कोटखावदा के साबिक ख.प 833 रकबा 03 बिस्वा को खातेदारी चिरंजी लाल पुत्र गेदीलाल जाति जैन निवासी कोटखावदा हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड थी उक्त भूमि के कुछ हिस्से पर मकानात एवं कुछ खाली भूमि थी। नजाकत विक्रय पत्र (रजिस्ट्रर्ड) दिनांक 16.01.1997 को केती श्रीमति पुष्पा गोधा पत्नि श्री अजीत कुमार गौधा निवासी काशीपुरा तहसील बस्सी के पक्ष में कर दिया गया जिसका नामान्तकरण दर्ज नही हुआ पुन दिनांक 30.06.2011 को जरिये विक्रय पत्र केता राजेन्द्र जैन पुत्र श्री चिरंजीलाल जैन निवासी कोटखावदा को ख0 न0 साविक 833 रकबा 03 बिस्वा हाल ख.न 3402 रकबा 0.04 है0 में अपना सम्पूर्ण

उपखण्ड अधिकारी
झोकरू (जयपुर)

हिस्सा 1/2 बेचान कर दिया बेचानशुदा भूमि में मकान व आगे के हिस्से में दो दुकान स्थित है कुछ हिस्से की भूमि खाली है। इस प्रकार दोनो बार किये गये विक्रय पत्रों का नामान्तकरण दर्ज नही है। गिरदावर हल्का की रिपोर्ट नियमानुसार है। रिपोर्ट गिरदावर कोटखावदा के अनुसार ग्राम कोटखावदा के साबिक ख.न 833 रकबा 1/2 की रजिस्ट्री 16.01.1987 को हुई थी किन्तु उसका नामान्तकरण नही खुला इसके पश्चात दिनांक 30.06.2011 को प्रथम रजिस्ट्री से द्वितीय रजिस्ट्री कर ही गई किन्तु दोनो का नामान्तकरण आज तक नही खुला। प्रथम रजिस्ट्री सैटलमेन्ट से पूर्व की है एवं द्वितीय रजिस्ट्री सैटलमेन्ट के बाद रजिस्ट्री से पुनः दुसरी रजिस्ट्री की गई है। जिसका नामान्तकरण अभी तक नही खुला है। जवाब प्रार्थना पत्र मय रिपोर्ट पटवारी गिरदावर हल्का के प्राप्त होने पर बहस प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी की सुनी गयी तो वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये जवाब सरकार एवमं विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु जाहिर किया गया । प्रार्थना पत्र के समर्थन में विक्रय पत्र दिनांक 16.01. 1987 व 30.06.2011 मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी संम्वत 2073–76 के खाता संख्या 447 वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया व प्रार्थना पत्र जवाब सरकार एवमं प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो ग्राम कोटखावदा के साबिक ख.प 833 रकबा 03 बिस्वा की खातेदारी चिरंजीलाल पुत्र गेन्दीलाल जाति जेन निवासी कोटखावदा हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड थी, जिसका विक्रय पत्र दिनांक 16.01.1987 को केती श्रीमति पुष्पा गोधा पत्नि अजीतकुमार निवासी काशीपुरा के पक्ष में कर दिया जिसका नामान्तकरण दर्ज नही हुआ, दिनांक 30.06.2011 को जरिये विक्रय पत्र केता राजेन्द्र

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जैन पुत्र चिरजीलाल निवासी कोटखावदा को ख.न 833 रकबा 03 बिस्वा हाल ख.न 3402 रकबा 0.04 है में अपना सम्पूर्ण हिस्स 1/2 बेचान कर दिया, इस प्रकार दोनो बाद किये गये विक्रय पत्रो का नामान्तकरण दर्ज नही किये गये, जबकि उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। अतः अब उक्त विक्रय पत्र दिनांक 16.01.1987 व 30.06.2011 के अनुसार नामान्तकरण की कार्यवाही कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम कोटखावदा तहसील कोटखावदा में रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.01.1987 एवं 30.06.2011 के अनुसार नामान्तकरण की कार्यवाही कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दारीवाल दफतर हों

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू